परिणामी बजट वर्ष 2007-08

राशि हजार रुपयों में

विभाग- महिला एवं बाल विकास विभाग

विभागाध्यक्ष- आयुक्त, महिला एवं बाल विकास्

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	आयोजना राशियां 2007-08	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	टिप्पणियां
1	राज्य स्तरीय संसाधन केन्द्र एवं क्षेत्रीय महिला प्रशिक्षण संस्थान	महिलाओं तथा बच्चों के कल्याणकारी कार्यक्रमों से संबंधित विषय पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना ।	7729	350 विभागीय अधिकारी/कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा ।	
2	किशोरी शक्ति योजना	11 से 18 वर्ष की बालिकाओं को स्वास्थ्य, पोषण, परिवार कल्याण एवं गृह प्रबंधन को बढ़ावा देने संबंधी विषयों पर जागरूक करना ।	10000	प्रत्येक विकास खण्डों में 300 बालिकाओं को योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा एवं पोषण आहार के प्रति जागरूकता पैदा करने हेतु प्रशिक्षित किया जायेगा ।	
3	महिला जागृति शिविर	महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों तथा उनके हित में चलाई जा रही शासकीय योजनाओं की जानकारी देना	5660	1500 जागृति शिविर आयोजित कर महिलाओं को लाभांवित करना।	
4	आयुष्मति योजना	ग्रामीण निर्धन एवं भूमिहीन महिलाओं को चिकित्सा केन्द्रों में चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराना।	4150	स्वास्थ्य केन्द्रों में भर्ती होने वाली 15000 ग्रामीण गरीब परिवार की व भूमिहीन महिलाओं एवं बालिकाओं को रू. 400 से रू. 1000 तक की आर्थिक सहायता।	
5	निर्धन युवक युवतियों का विवाह	निर्धन परिवारों को कन्या के विवाह के संदर्भ में होने वाली आर्थिक कठिनाईयों का निवारण ।	25000	निर्धन परिवार के 5000 जोड़ों का सामूहिक विवाह कराया जायेगा ।	
6	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना	(1) प्रदेश में महिलाओं एवं बच्चों में व्याप्त कुपोषण को दूर करने हेतु 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं एवं किशोरी बालिकाओं को पूरक पोषण आहार उपलब्ध कराना ।	1870000	आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से 22 लाख बच्चे, 8 लाख किशोरी बालिकाओं तथा 6 लाख गर्भवती/धात्री माताओं को पूरक पोषण आहार प्रदाय किया जायेगा ।	

परिणामी बजट वर्ष 2007-08

राशि हजार रुपयों में

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	आयोजना राशियां 2007-08	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	टिप्पणियां
विभाग- महिला एवं बाल विकास विभाग					
विभागाध्यक्ष- आयुक्त, महिला एवं बाल विकास्					
		(2) पोषण आहार में सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहन ।	71400	72000 महिला स्व-सहायता समूहों तथा 9820 ग्राम पंचायतों के सदस्यों को पोषण आहार व्यवस्था में सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु प्रशिक्षण व्यवस्था ।	
7	आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं को प्रशिक्षण	आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को प्रशिक्षण दिया जाना ।	15000	60000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं/आंगनबाड़ी सहायिकाओं को प्रशिक्षण दिया जायेगा ।	
8	महिला कोष का गठन	प्रदेश मे महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक विकास को बढ़ावा देना ।	10000	प्रदेश के 5000 महिला स्व-सहायता समूहों को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए कम ब्याज दर पर रू. 10000 तक ऋण उपलब्ध कराया जायेगा।	
9	भवन निर्माण	विभागीय योजनाओं को सुचारू रूप से संचालन एवं क्रियान्वयन के लिए आधारभूत संरचनाओं का विकास करना	220375	16 परियोजना कार्यालय सह संसाधन केन्द्र एवं 825 आंगनबाड़ी भवन निर्माण किया जायेगा ।	

विभागाध्यक्ष- आयुक्त, महिला एवं बाल विकास्